



राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
IIIrd Floor, RSIC wing, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
दूरभाष-0141- 2385887 फ़ैक्स-0141-2385778
E-Mail.: smc-raj@esic.nic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15-यू-11 / पीटीएमआर-नियुक्ति / एसएमसी / 08

दिनांक 12.01.2011

:-: वर्ष 2011 का कार्यालय आदेश सं. 2 :-:

राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदया ने इस कार्यालय के समसंख्यक वर्ष 2009 के कार्यालय आदेश सं. 6 दिनांक 30.11.09 / 1.12.2009 के तारतम्य में निम्नांकित चिकित्सक को उनके नाम के आगे अंकित विवरणानुसार एक वर्ष के लिए अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

क्र. सं.	नामित डॉक्टर का नाम व पता	अवधि	केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या	बीमितों की संख्या
1	2		3	4	5
1	डॉ. रमेश नारायण लढढा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अस्थि रोग विभाग, आर. एन. टी. मेडिकल कॉलेज एवं महाराणा भूपाल जनरल हॉस्पिटल, उदयपुर	1.12.2010 से 30.11.2011	उदयपुर व सम्बद्ध क्षेत्र कांकरोली व सम्बद्ध क्षेत्र	36368 5995	36672 6165

शेष सभी शर्तें वर्ष 2009 के कार्यालय आदेश सं. 6 दिनांक 30.11.09 / 1.12.2009 के अनुसार ही रहेंगी।

(वी. के. गोयल)
उप निदेशक (प्रशासन)

संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी।

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. चिकित्सा आयुक्त (मेड-1), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
5. शाखाधिकारी (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।

6. शाखाधिकारी, (नकद हितलाभ), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
7. उप निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त आदेश निगम के राजस्थान क्षेत्र की वेबसाईट www.esicrajasthan.com पर उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
8. शाखाधिकारी (पी.आर.), क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर।
9. शाखाधिकारी, (नकद हितलाभ), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
10. वित्त एवं लेखा शाखा, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
11. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर व कांकरोली को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी से उपर्युक्त वर्णित विवरणानुसार बीमितों को देखने हेतु समय निश्चित करें एवं शाखा प्रबंधक, कराबी निगम, उदयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संलग्न कार्यालय आदेश की प्रति अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को सुपुर्द कर पावती इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
12. चिकित्सा निर्देशी, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
13. सूचना पट्ट

पावती

राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर द्वारा जारी वर्ष 2011 का कार्यालय आदेश सं. 2 दिनांक 12.01.2011 प्राप्त कर लिया है।

(डॉ. रमेश नारायण लढढा)

विभागाध्यक्ष,
अस्थि रोग विभाग,
आर. एन. टी. मेडिकल कॉलेज एवं
महाराणा भूपाल जनरल हॉस्पिटल,
उदयपुर